

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 933]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2025 — अग्रहायण 10, शक 1947

जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27 नवम्बर 2025

संशोधित अधिसूचना

File No. RULE/98/2025-PRD .— विभागीय आदेश क्रमांक एफ 04-02/2013/चौबीस, दिनांक 26 अगस्त 2013 द्वारा प्रदेश के वरिष्ठ मीडिया कर्मियों को सम्मान निधि योजना के माध्यम से सम्मान निधि दिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि योजना नियम 2013 अधिसूचित किया गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि नियम, 2019 के निम्नलिखित नियम में संशोधन कर निम्नानुसार संशोधित नियम प्रतिस्थापित करता है-

नियम 4. (एक) वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि की राशि रुपये 20,000/- (बीस हजार) प्रतिमाह होगी.

नियम 7. (घ) एक पत्रकार को प्रतिमाह रुपये बीस हजार तक सम्मान-निधि की पात्रता होगी.

उपरोक्त संशोधित नियम 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 नवम्बर 2025

File No. RULE/98/2025-PRD .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27-11-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 26th November 2025

AMENDMENTS NOTIFICATION

File No. RULE/98/2025-PRD.— Chhattisgarh Varishth Media Karmi Samman Nidhi Niyam 2013 was notified through departmental order No. F-04-02/2013/24 dated 26 august 2013.

2. State Government notified Chhattisgarh Varishth Media Karmi Samman Nidhi Yojna rules 2019 to provide samman nidhi. State Government here by makes amendments in following rules and substitutes them with amended rules,

Rule 4 (1) The amount of Varishth Media Karmi Samman Nidhi Shall be Rupees 20,000/--[twenty thousand] per month.

Rule 7 (d) An eligible media Karmi shall be entitled for receiving Rs 20,000/-[twenty thousand] per month as Samman Nidhi.

The amended clause shall come into effect from 1st April 2025.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ROHIT YADAV, Secretary.